भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1916

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

उद्यम पोर्टल संबंधी नई विश्लेषण – प्रणाली

1916. श्री सतीश कुमार गौतम:

डॉ. सुश्री कंगना रनौत:

श्री मन्ना लाल रावत:

श्री राधेश्याम राठिया:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशिष्ट उद्योग डेटा के आधार पर लक्षित नीति संबंधी सहयोग की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए उद्यम पोर्टल पर सरकार नई विश्लेषण-प्रणाली का किस प्रकार उपयोग कर रही है;

(ख) क्या सरकार उद्यम पोर्टल को जीएसटी और ट्रेड रसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है ताकि सिंगल साइन-ऑन पहुंच संभव हो और एमएसएमई अनुपालन और क्रेडिट तक पहुंच को सरल बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई श्रेणीकरण के तहत निर्धारित निवेश/कुल बिक्री सीमा से अधिक उद्यमों के अनिवार्य पुन: वर्गीकरण और सत्यापन के लिए अंतिम दिशानिर्देश क्या हैं और यह सूक्ष्म उद्यमों के लिए निरंतर लाभ सुनिश्चित करने में किस प्रकार मदद करेगा; और

(घ) मोबाइल उद्यम पंजीकरण एप्लीकेशन पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत पंजीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए वर्ष 2020 में निवेश और कारोबार के युग्मित मानदंड के आधार पर एक संशोधित परिभाषा अपनाई गई थी। तदनुसार, पैन रखने वाले उद्यमों के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। जीएसटी दायर करने से छूट प्राप्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक बनाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। उद्यम पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, ये आंकड़े सरकार को विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में रियल टाइम आधार पर एमएसएमई पंजीकरणों की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। इससे एनआईसी संहिताओं के अनुसार उद्यमों को उनकी श्रेणी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम) तथा कार्यकलाप के क्षेत्र नामत: विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार में वर्गीकृत करने में सहायता प्राप्त होती है। उद्यम पंजीकरण का डेटाबेस एमएसएमई इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु देश में एमएसएमई के लाभ के लिए सरकार को क्षेत्र विशिष्ट नीतियों और स्कीमों को निरूपित करने के लिए केन्द्रित पहलें करने में सुविधा प्रदान करता है। सरकार ने आगे सूक्ष्म उद्यमों के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का निवेश और 10 करोड़ रुपए तक के कारोबार, लघु उद्यमों के लिए 25 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार तथा मध्यम उद्यमों के लिए 125 करोड़ रुपए तक के निवेश और 500 करोड़ रुपए तक के कारोबार के लिए उक्त मानदंड को पुन: वर्गीकृत किया है, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है।

(ख) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर डेटाबेस और व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण किया गया है ताकि कार्यप्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। यह एकीकरण किसी उद्यम के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाता है और ट्रेड्स पर एमएसएमई को शामिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाता है जिससे इनवॉइस छूट के जरिए ऋण तक उनकी पहुंच को और बेहतर बनाया जा सकता है।

(ग) : ऐसे उद्यमों, जिनमें निवेश या कारोबार की निर्धारित सीमाओं से अधिक वाले उद्यम भी शामिल हैं, के उद्यम पोर्टल पर वर्गीकरण, पुन: वर्गीकरण तथा सत्यापन का कार्य जीएसटी और पैन से जुड़े आंकड़ों का प्रयोग करके किया जाता है।

(घ) : उद्यम पंजीकरण केवल ऑनलाइन पोर्टल www.udyamregistration.gov.in. के जरिए ही किया जा सकता है।

*****